

कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल (म0प्र0)

क0 5 अ-82 / 17-18, भू-अर्जन / दीवानचारसी / 11952 बैतूल दिनांक 7-11-2019

ईशतहार

म0प्र0शासन, राजस्व विभाग, भोपाल द्वारा जारी कय नीति के अन्तर्गत आवेदक विभाग कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग कमांक-2 बैतूल द्वारा चोरनी मोरनी लधु जलाशय के लिए भूमि की आवश्यकता होने के कारण ग्राम दीवानचारसी प0ह0न0 58 तहसील बैतूल जिला बैतूल के निम्नानुसार खसरा नम्बरों की भूमि आपसी सहमति के आधार पर कय करने के प्रस्ताव पेश किए गए हैं :-

अ0क0	खसरा नम्बर	रकबा हे0 में	आवेदक विभाग द्वारा कय किया जाने वाला रकबा हे0	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	192/8	1.711	1.711	रामा पुत्र ढोन्डू, बिरज पुत्र ढोन्डू, जियालाल पुत्र जयसिंग, रियालाल पुत्र जयसिंग, गजरी पुत्री जयसिंग, संतराम पुत्र जयसिंग जाति गोंड सा0 दीवानचारसी।

अतएव आवेदक विभाग द्वारा ग्राम दीवान चारसी तहसील बैतूल की उपरोक्तानुसार खसरा नम्बर की कुल 1.711 हे0 भूमि आपसी कय नीति के अन्तर्गत कय करने के सम्बंध में किसी भी पक्षकार या किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो ईशतहार के प्रकाशन होने की तारीख से 15 दिवस की अवधि में आपत्ति स्वयं या अपने अधिवक्ता या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी (रा) बैतूल के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत समयावधि के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 7-11-19 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी।



(तेजस्वी एस. नायक)

कलेक्टर,

बैतूल

क 05 अ-82/17-18 भू-अर्जन/दीवानचारसी/ बैतूल दिनांक ⁷⁻¹¹⁻~~20~~2019
प्रतिलिपि:- 11952

- 1- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त ईशतहार का प्रकाशन एक प्रदेश स्तर एवं एक स्थानीय स्तर के दैनिक समाचार पत्र में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रति भी भेजने का कष्ट करें।
- 2- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग कमांक-2 बैतूल जिला बैतूल को प्रकाशन हेतु अग्रेषित ।
- 3- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट [www. betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन भेजने हेतु ।
- 5- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन तत्काल भेजना सुनिश्चित करें।
- 6- तहसीलदार बैतूल की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित । एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति क्रय की जाने वाली भूमि के प्रस्तावित स्थल/ग्राम पंचायत पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन तत्काल भेजना सुनिश्चित करें।
- 7- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित । प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।

Betul Mail-t
अपर कलेक्टर,
बैतूल
Er